रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233977
CG-DL-E-07032022-233977

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 975] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/फाल्गुन 16, 1943
No. 975] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

डॉ. सुभाष सरकार
Dr. Subhas Sarkar
शिक्षा राज्य मंत्री
Minister of State for Education
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

का.आ. 1005(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचुर के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

बी. टेक कार्यक्रम अध्यादेश

(शैक्षिक वर्ष 2019-20 से प्रवेश लेने वाले बैच के लिए)

1. शैक्षिक कैलेंडर 2
2. प्रवेश 2
3. उपस्थिति 3
4. आचार और अनुशासन 4
5. पाठ्यक्रम संरचना 4
6. पंजीकरण 5

7.	कार्यक्रम की अवधि	5
8.	संस्थान से अस्थायी निकासी	6
9.	अकादमिक परिवीक्षा एवं निलंबन	6
10.	ग्रेडिंग नीति	5
11.	पाठ्यक्रमों को दोहराना	9
12.	निष्पादन का मूल्यांकन	10
13.	परीक्षाएं	11
14.	मेक-अप-परीक्षाएं	11
15.	ग्रेडस रोकना	12
16.	पाठ्यक्रम छोड़ने के मापदंड	12
17.	बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की पात्रता	12

बी. टेक कार्यक्रम अध्यादेश

(शैक्षिक वर्ष 2019-20 से प्रवेश लेने वाले बैच के लिए)

1. संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक) कार्यक्रम इन बी.टेक अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होंगे।

2. इन अध्यादेशों के अंतर्गत भविष्य में किसी नए विषय (विषयों)/कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है।

3. कोई भी छात्र इन अध्यादेशों द्वारा यथा-निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को पूरा करने के पश्चात बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने का पात्र होगा।

4. संस्थान में निम्नलिखित बी.टेक कार्यक्रम होंगे:

   क. कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी (सीएसई) : (4 वर्ष/8 सेमेस्टर)

   ख. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

   ग. गणित और कंप्यूटिंग

1. शैक्षणिक कैलेंडर

1.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को लगभग चार महीने की अवधि के दो सेमेस्टरों में बांटा गया है, अर्थात् अगस्त-नवंबर सेमेस्टर और जनवरी-अप्रैल सेमेस्टर।

1.2 इसके अतिरिक्त किन्हीं दो सेमेस्टरों के बीच अवकाश हो सकता है।

1.3 सीनेट ने पंजीकरण की तारीख, मध्य-सेमेस्टर और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं, सेमेस्टेरों के बीच अवकाश तथा अन्य गतिविधियों की तारीख को शामिल करते हुए सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की अनुसूची अनुमोदित की, जिसे सत्र के लिए शैक्षिक कैलेंडर में निर्धारित किया जाएगा।

2. प्रवेश

2.1 भा.सू.प्रौ.स. रायचुर में अवर स्नातकों की प्रत्येक शाखा जिसके लिए प्रवेश लिया जाना है, में सीटों की संख्या का निर्णय भा.सू.प्रौ.स. रायचुर की सीनेट द्वारा लिया जाएगा। सीटें समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से नि:शक्त अभ्यर्थियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होती हैं।

2.2 प्रत्येक वर्ष में बी.टेक कार्यक्रम में प्रवेश भारत सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। वर्तमान में प्रवेश संबंधित वर्ष के लिए सीएसएबी द्वारा संचालित एक काउंसलिंग के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मेन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के अनुसार एचएससी परीक्षा में प्रदर्शन पर आधारित होते हैं।

2.3 संस्थान के किसी कार्यक्रम में अंनतिम रूप से अथवा अन्यथा प्रवेश प्राप्त करने वाला प्रत्येक छात्र अर्हक डिग्री/अनंतिम प्रमाण पत्र तथा सीनेट द्वारा यथा-निर्धारित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। ये दस्तावेज निर्धारित तारीख से पहले प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित तारीख तक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने वाले अथवा प्रवेश की किसी पात्रता को पूरा नहीं करने वाले छात्र के प्रवेश, को सीनेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

2.4 यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने कोई गलत सूचना दी है अथवा प्रवेश लेने के समय किसी संगत सूचना को छिपाया है तो किसी छात्र के प्रवेश को सीनेट द्वारा बाद के किसी समय में भी निरस्त किया जा सकता है।

2.5 संस्थान किसी भी छात्र के प्रवेश को निरस्त करने और उसे असंतोषजनक शैक्षिक प्रदर्शन अथवा अनुशासनात्मक आधार पर उसके करिअॅर के किसी भी चरण में अध्ययन समाप्त करने के लिए कहने का अधिकार आरक्षित रखता है।

3. उपस्थिति

3.1 (क) छात्रों द्वारा उन सभी कक्षाओं (लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रयोगशालाएं, प्रेक्टिकल, कार्यशालाएं इत्यादि) में भाग लेना अपेक्षित होता है जिनके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया हो।

(ख) छात्रों को सभी कक्षाओं में भाग लेना होगा। तथापि, किसी आंशिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या अथवा इस प्रकार की किसी समस्या जैसे किसी अप्रत्याशित मामले में छात्र अधिकतम 15 प्रतिशत कक्षाओं में अनुपस्थित रह सकता है। इस 15 प्रतिशत अनुपस्थिति के पश्चात, छात्र को पाठ्यक्रम प्रशिक्षक को पर्याप्त औचित्य देना होगा।

अवकाश

3.2 निम्नलिखित अवकाश इनमें से किसी खंड में आ सकता है:

क) सेमेस्टर के दौरान छात्र से संस्थान से दूर रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

ख) छात्र को परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु आदि जैसे अवसरों पर अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

ग) उपयुक्त अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् तीन सप्ताह से कम की बीमारी के कारण अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है। आकस्मिकताओं के कारण ये अनुमति बाद में और यदि आवश्यक हो अभिभावकों द्वारा ली जा सकती है।

घ) प्रथम वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष के बी.टेक में प्रोन्नत किए जाने के लिए छात्रों को न्यूनतम 50 प्रतिशत सीजीपीए क्रेडिट प्राप्त करना होगा जो 4.0 से कम नहीं होगा।

ङ) कार्यक्रम छठे सेमेस्टर में एक सेमेस्टर-लंबी इंटर्नशिप की संभावना प्रदान करता है, बशर्ते छात्र के पास एक निश्चित सीजीपीए से अधिक सीजीपीए हो, जो इस समय 8.0 है। इंटर्नशिप में 6 क्रेडिट होते हैं और छात्र सेमेस्टर को किसी उद्योग, शैक्षणिक संस्थान या स्टार्ट-अप के साथ बिता सकता है और इंटर्नशिप के अंत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। छात्र इस सेमेस्टर के दौरान किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण नहीं कर सकता है और सेमेस्टर के शेष क्रेडिट अन्य सेमेस्टर में पूरे किए जा सकते हैं।

3.3 छात्र द्वारा अवकाश पर जाने से पहले अपनी अनुपस्थिति के संबंध में छात्रावास, जिसमें वह रह रहा है, उसके वार्डन और संबंधित अनुदेशक को सूचित करने की जिम्मेदारी छात्र की होगी।

4. आचरण और अनुशासन

4.1 छात्र संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के छात्रों के अनुरूप आचरण करेंगे।

4.2 छात्रों की अनुशासनिक गतिविधियों को देखने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई समिति (डीएसी) होगी।

5. पाठ्यक्रम संरचना

5.1 पाठ्यक्रमों के शिक्षण को क्रेडिट में मान्यता दी जाएगी। पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट निम्नलिखित सामान्य पद्धति पर आधारित होंगे: एक क्रेडिट में लगभग 14 संपर्क घंटे होंगे।

5.2 संस्थान की बी.टेक डिग्री के लिए पात्र होने हेतु छात्र को किसी विशिष्ट कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या में निर्धारित क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना अपेक्षित होगा।

5.3 पाठ्यक्रम कार्य अपेक्षाओं को मुख्यत: निम्नलिखित पाठ्यक्रम समूहों में बांटा जा सकता है:

i) सामान्य विज्ञान

ii) बेसिक इंजीनियरिंग

iii) डिपार्टमेंट कोर

iv) डिपार्टमेंट इलेक्टिव

v) नि:शुल्क इलेक्टिव्स

vi) जीवन कौशल

vii) एलए/सीए

viii) परियोजना

5.4 प्रत्येक बी.टेक कार्यक्रम में सीनेट द्वारा अनुमोदित एक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम होंगे।

5.5 अनुदेश, परीक्षा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का माध्यम अंग्रेजी होगा।

5.6 संकाय सलाहकार: छात्रों की उनके अध्ययन पाठ्यक्रम की योजना बनाने और अकादमिक कार्यक्रम के संबंध में सामान्य सलाह लेने के लिए विभाग का प्रमुख प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों के लिए एक संकाय सलाहकार नियुक्त करेगा।

6. पंजीकरण

6.1 प्रत्येक छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के आरंभ होने पर पंजीकरण के लिए निर्धारित और शैक्षिक कैलेंडर में अधिसूचित तारीख पर सौंपे गए संकाय सलाहकार के माध्यम से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करवाना अपेक्षित होता है। किसी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर अथवा यदि अनुशासनात्मक कारणों से प्रतिबंध लगाया गया हो, तो एक अथवा अधिक पाठ्यक्रमों का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

6.2 अंतिम तिथि तक पंजीकरण करवाने में असफल छात्रों के मामले में यह माना जाएगा कि उन्होंने कार्यक्रम के सेमेस्टर से नाम वापस ले लिया है और भविष्य की कार्रवाई छात्र की स्थिति तथा इन अध्यादेशों के प्रावधानों पर आधारित होगी।

6.3 केवल उन छात्रों को पंजीकरण करवाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने

क. वर्तमान सेमेस्टर के लिए संस्थान और छात्रावास की सभी देनदारियों का अग्रिम भुगतान कर दिया हो, और

ख. किसी विशिष्ट आधार पर उसे पंजीकरण से वंचित नहीं किया गया हो।

6.4 पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

क. छात्र को तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाने से पहले अनिवार्य रूप से प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने अपेक्षित होंगे।

ख. सामान्यत:, किसी सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत क्रेडिट की संख्या निर्धारित क्रेडिट के 75% से कम और 125% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6.5 छात्र नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को जोड़ और छोड़ सकते हैं, बशर्ते यह शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित तिथि के भीतर और ऊपर के खंडों में दी गई शर्तों के अनुसार किया गया हो।

7. कार्यक्रम की अवधि

7.1 सामान्यत: प्रत्येक छात्र अवर स्नातक कार्यक्रम की सभी आवश्यकताएं आठ अनुगामी सेमेस्टरों में पूरा करेगा। तथापि, छात्र को अधिकतम 12 सेमेस्टरों में कार्यक्रम पूरा करना होगा जिसमें से प्रत्येक सेमेस्टर के लिए छात्र न्यूनतम एक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाएगा, इसमें लिया जाने वाला अधिकतम समय 6 वर्ष का होगा। यदि इनमें से किसी भी सीमा का अतिक्रमण किया जाता है तो कार्यक्रम में छात्र की अध्ययनवृत्ति को निरस्त कर दिया जाएगा।

8. संस्थान से अस्थायी निकासी

8.1 संस्थान के किसी अवर स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले किसी छात्र को लंबी बीमारी अथवा परिवार में गंभीर आपदा के आधार पर एक सेमेस्टर अथवा अधिक की अवधि के लिए संस्थान से अस्थायी निकासी की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते:

क. वह संस्थान को सेमेस्टर आरंभ होने के न्यूनतम 6 सप्ताह के भीतर अथवा उस तारीख जबकि उसने अंतिम बार कक्षा में भाग लिया हो, जो भी बाद में हो, के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ ऐसी निकासी के पूर्ण कारणों का उल्लेख करते हुए और अपने अभिभावक की सहमति संलग्न करते हुए संस्थान को आवेदन करता है;

ख. संस्थान इस बात से संतुष्ट हो कि निकासी की अवधि की गणना करते हुए छात्र उपरोक्त खंड 7 में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर बी.टेक डिग्री की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा;

ग. संस्थान/ छात्रावास/ पुस्तकालय में कोई बकाया अथवा मांग की देनदारी न हो।

8.2 खंड 8.1 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्थान से अस्थायी निकासी प्राप्त करने वाले छात्र को तब तक फीस/प्रभार (ट्यूशन फीस और छात्रावास देनदारी को छोड़कर) का भुगतान करना अपेक्षित होगा जब तक उसका नाम क्रमांक सूची में है। तथापि, फीस जिसका एक बार भुगतान कर दिया गया हो, वापस नहीं की जाएगी।

8.3 सामान्यत: किसी छात्र को अवर स्नातक कार्यक्रम के छात्र के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान ऐसे दो अस्थायी निकास की ही अनुमति प्रदान की जा सकती है।

9. शैक्षणिक परिवीक्षा और समाप्ति

9.1 किसी कार्यक्रम से अध्ययनवृत्ति को निम्नलिखित आधार पर समाप्त किया जा सकता है:

क) किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने से तात्पर्य संबंधित पाठ्यक्रम में न्यूनतम 'डी' श्रेणी प्राप्त करना होता है।

ख) जिन छात्रों ने किसी पाठ्यक्रम में एफ ग्रेड प्राप्त किया हो, उन्हें फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा करने अथवा तदनंतर सेमेस्टरों में पाठ्यक्रम को दोहराने का अवसर प्राप्त होगा।

ग) यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में अवकाश स्वीकृत करवाए बगैर 6 (छः) सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है।

घ) अनुशासनात्मक आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है।

ङ) प्रवेश के समय गलत दस्तावेज देने अथवा गलत घोषणा किए जाने का दोषी पाये जाने पर।

च) निम्नानुसार सीजीपीए प्राप्त करने में विफल रहने पर:

ii. (i) 4.00 अथवा उससे कम के सीजीपीए को अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

iii. (ii) छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में 5.0 और उससे अधिक के सीजीपीए की न्यूनतम ग्रेडिंग प्राप्त करनी अपेक्षित होगी।

छ) कार्यक्रम की अधिकतम अनुमेय अवधि से अधिक समय हो गया हो।

9.2 छात्रों/ अभिभावकों के लिए अधिसूचना

क. यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में 5.00 से कम एसजीपीए प्राप्त करता है तो छात्र और/अथवा उसके अभिभावक को सूचित किया जा सकता है।

10. ग्रेडिंग नीति

10.1 संस्थान संकाय सदस्यों को ग्रेडों के लिए अंकों की श्रेणी का निर्णय लेने की स्वतन्त्रता के साथ संगत ग्रेडिंग प्रणाली अपनाता है। पाठ्यक्रम के सभी मूल्यांकन अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

10.2 संकाय सदस्य कोई अन्य तार्किक पद्धति जैसे कि सामान्यीकृत कर्व, जेड स्कोर इत्यादि को ग्रेड का निर्णय लेने के लिए नहीं अपना सकते हैं। सामान्य तौर पर, यह अनुशंसा की जाती है कि ग्रेडिंग में मानक बेल-कर्व वितरण का पालन किया जाना चाहिए।

10.3 किसी पाठ्यक्रम के लिए संकाय सदस्य द्वारा अपनायी गई ग्रेडिंग अवसंरचना संकायाध्यक्ष (अकादमिक) की जांच के अध्यधीन होगी।

10.4 ग्रेडिंग से संबंधित किसी भी मामले का निर्णय सीनेट के अध्यक्ष के परामर्श से संकायाध्यक्ष (अकादमिक) द्वारा लिया जाएगा।

10.5 छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक छात्र को सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक अंतिम लेटर ग्रेड दिया जाता है। शैक्षिक वर्ष 2019-20 में अथवा उसके पश्चात (नई ग्रेडिंग प्रणाली) में प्रवेश लेने छात्रों के लिए लेटर ग्रेड और संगत ग्रेड प्वाईंट निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

प्वाईंट	10	10	9	8	7	6	5	4	0
ग्रेड	ए+	ए	ए-	बी	बी-	सी	सी-	डी	एफ

नोट : (क) ए + असाधरण है (ख) एफ - अनुत्तीर्ण है (ग) इसके अलावा,एक ट्रांजिशनल ग्रेड 'आई' होगा।

10.6 किसी छात्र द्वारा कोई पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जाना और क्रेडिट अर्जित किया हुआ तब माना जाता है यदि उसने उक्त पाठ्यक्रम में 'आई' अथवा 'एफ' के अतिरिक्त कोई लेटर ग्रेड प्राप्त किया हो। किसी भी पाठ्यक्रम में लेटर एफ का अर्थ उक्त पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होगा।

10.7 ट्रांजिशनल ग्रेड 'आई'

क. किसी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षक किसी छात्र को 'आई' ग्रेड प्रदान कर सकता है यदि छात्र (i) बीमारी अथवा दुर्घटना, जिसने उसे परीक्षा में भाग लेने से बाधित किया हो (ii) परीक्षा के समय परिवार में कोई आपदा, जिसमें संस्थान के विचार से छात्र को कैम्पस से जाना आवश्यक था, के कारण अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर विवश था। कोई छात्र 'आई' श्रेणी प्राप्त करने का पात्र केवल तब होगा जबकि उसकी कक्षा में उपस्थिति और मूल्यांकन के अन्य घटकों में प्रदर्शन पूरा और संतोषजनक रहा हो।

ख. छात्रों द्वारा प्राप्त सभी 'आई' ग्रेड मेक-अप परीक्षा के पश्चात लेटर ग्रेड में परिवर्तित किए जाएंगे।

10.8 प्रत्येक सेमेस्टर के लिए एक सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट औसत (एसजीपीए) निकाला जाएगा। एसजीपीए का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा:

एसजीपीए = (सी1*जी1 + सी2*जी2 + सी3*जी3 + ••• + सीएन*जीएन)/(सी1 + सी2 + सी3 + ••• + सीएन)

जहां, एन एक सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत पाठ्यक्रमों की संख्या है, सीi किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आबंटित क्रेडिट की संख्या है, और जीi पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त ग्रेड का तदनुरूपी ग्रेड प्वाईंट है।

10.9 प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में एक संचयी ग्रेड प्वाईंट औसत (सीजीपीए) निकाला जाएगा और एसजीपीए तथा उक्त सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त किए गए ग्रेड के साथ उसे सूचित किया जाएगा। सीजीपीए पहले सेमेस्टर से सेमेस्टर के अंत तक छात्र का संचयी प्रदर्शन प्रदान करता है और इसका निम्नानुसार आकलन किया जाएगा:

सीजीपीए = (सी1*जी1 + सी2*जी2 + सी3*जी3 + ••• + सीएम*जीएम) / (सी1 + सी2 + सी3 + ••• + सीएम)

जबकि एम उक्त सेमेस्टर तक पंजीकृत पाठ्यक्रमों की संख्या है, सीi किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आबंटित क्रेडिट की संख्या है, और जीi पाठ्यक्रम के लिए प्रदत्त ग्रेड का तदनुरूपी ग्रेड प्वाईंट है।

जब कोई छात्र किसी पाठ्यक्रम को दोहराता है अथवा उसे प्रतिस्थापित करता है, तो उक्त पाठ्यक्रम में उसके द्वारा प्राप्त किए गए निचले ग्रेड को उस सेमेस्टर से आगे सीजीपीए के आकलन में अनदेखी की जाती है।

10.10 एसजीपीए और सीजीपीए दोनों को दशमलव के दूसरे स्थान तक राउंड ऑफ किया जाएगा और उसी प्रकार दर्ज किया जाएगा। जब इन सीजीपीए का प्रयोग छात्रों के किसी समूह की योग्यता मेरिट का निर्धारण करने के उद्देश्य से किया जाना हो तो केवल राउंड ऑफ की गई संख्या का ही उपयोग किया जाएगा।

10.11 जब कोई छात्र किसी सेमेस्टर के दौरान किसी पाठ्यक्रम के लिए 'आई' ग्रेड प्राप्त करता है तो उक्त सेमेस्टर के लिए एसजीपीए तथा उक्त सेमेस्टर के अंत में सीजीपीए की संभावित गणना 'आई' ग्रेडिड पाठ्यक्रमों पर ध्यान दिए बिना की जाएगी। 'आई' ग्रेडों को उपयुक्त ग्रेडों में परिवर्तित करने के पश्चात् उक्त सेमेस्टर के लिए एसजीपीए और सीजीपीए की पुनर्गणना परिवर्तित ग्रेडों को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से की जाएगी।

10.12 तथापि, अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए ऐसी कुछ अन्य शैक्षिक अर्हताएं हैं जहां छात्रों को निम्नलिखित दो ग्रेड अर्थात् 'पी'-उत्तीर्ण और 'एफ'-अनुत्तीर्ण दिये जाएंगे। सभी स्वतंत्र अध्ययन/गैर-क्रेडिट पाठ्यक्रमों से संबंधित अतिरिक्त प्रोजेक्ट इस श्रेणी में आते हैं। कोई भी ग्रेड प्वाइंट इन ग्रेडों से संबद्ध नहीं है और इन पाठ्यक्रमों में प्रदर्शन को एसजीपीए अथवा सीजीपीए की गणना में नहीं लिया जाता है। तथापि, डिग्री प्रदान किया जाना इन सभी पाठ्यक्रमों में 'पी' ग्रेड प्राप्त किये जाने के अध्यधीन होता है।

10.13 सीजीपीए को 10 के कारक से सीजीपीए को गुणा करके प्रतिशत में परिवर्तित किया जा सकता है।

11. पाठ्यक्रमों को दोहराना

11.1 किसी पाठ्यक्रम (किसी इलेक्टिव अथवा प्रयोगशाला प्रैक्टिकल से इतर) में ग्रेड 'एफ' प्राप्त करने वाले छात्र को उक्त पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र के पास दो विकल्प होंगे:

1. छात्र किसी नियमित सेमेस्टर में जब पाठ्यक्रम प्रदान किया जा रहा हो, पंजीकरण करवाते हुए पाठ्यक्रम को दोहरा सकता है।

2. छात्र किसी सेमेस्टर अवकाश में, यदि पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है तो इसके लिए पंजीकरण करवाते हुए पाठ्यक्रम को दोहरा सकता है।

11.2 किसी इलेक्टिव पाठ्यक्रम में ग्रेड 'एफ' प्राप्त करने वाले छात्र को तदनंतर सेमेस्टर/वर्ष में, यदि यह ऑफर किया जाता है तो नये पंजीकरण के रूप में पाठ्यक्रम को दोहराना पड़ सकता है अथवा किसी अन्य पाठ्यक्रम में पंजीकरण करना पड़ सकता है जिसे प्राधिकारियों द्वारा अन्य इलेक्टिव पाठ्यक्रम माना गया हो।

11.3 प्रयोगशाला/प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम में असफल होने के मामले में छात्र को अगले उपयुक्त सेमेस्टर में उसके लिए पुन: पंजीकरण करवाना होगा।

11.4 जब कोई छात्र स्वयं को किसी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत करवाता है तो उसके ग्रेड का उक्त सेमेस्टर में एसजीपीए के आकलन हेतु प्रयोग किया जाएगा।

11.5 पहले वर्ष के अंत में:

1. कार्यक्रम को जारी रखने और दूसरे वर्ष में प्रोन्नत किए जाने के लिए निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा किया जाना अपेक्षित होगा:

   क. छात्र ने पहले वर्ष के लिए निर्धारित क्रेडिट का न्यूनतम 50 प्रतिशत सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और

   ख. छात्र का सीजीपीए $\geq$ 4.0 हो।

11.6 उपरोक्त दो अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाले छात्रों को दूसरे वर्ष में प्रोन्नत नहीं किया जाता है। उनके पास नए प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में पंजीकरण करवाते हुए कार्यक्रम को जारी रखने का अवसर होगा।

12. निष्पादन का मूल्यांकन

12.1 पूरे सेमेस्टर के दौरान छात्र के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा और संबंधित अध्यापक अथवा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त समुचित समिति द्वारा निम्नलिखित आधार पर गेड प्रदान किए जाएंगे।

क. पाठ्यक्रमों के मामले में,

I. थ्योरी पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन, अनुदेशकों के आकलन, क्विज, मिड सेमेस्टर परीक्षा और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा जैसी पद्धतियों पर आधारित होगा, तथा

II. प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन, उपस्थिति, सौंपे गए कार्यों के आकलन तथा अंतिम सेमेस्टर परीक्षा/मौखिक परीक्षा पर आधारित होगा।

ख. प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गए कार्य, सेमिनार, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

ग. अन्य अपेक्षाओं जैसे कि सेमिनार, अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों इत्यादि के मामले में मूल्यांकन ग्रेड प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

घ. मूल्यांकन के विभिन्न घटकों को दिए गए ग्रेडिंग नीति वेटेज की घोषणा संबंधित प्रशिक्षक (प्रशिक्षकों) द्वारा सेमेस्टर की शुरुआत में की जाएगी।

ङ. ग्रेडिंग पारदर्शी होनी चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशिक्षक छात्रों को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका (आन्सर स्क्रिप्ट) (यदि लागू हो) दिखाएँ।

च. एक पाठ्यक्रम के लिए अंतिम ग्रेड संबंधित प्रशिक्षक द्वारा सेमेस्टर परीक्षा के बाद शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित तिथि के भीतर शैक्षणिक अनुभाग में जमा किए जाने चाहिए।

छ. पाठ्यक्रम में, सामान्यतया दूसरे वर्ष के बाद परियोजना घटक होंगे। परियोजना की देखरेख एक संकाय सदस्य द्वारा की जाएगी। परियोजना के लिए ग्रेड मूल्यांकन समिति के सदस्यों और पर्यवेक्षक दोनों द्वारा उनके समग्र प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा।

12.2 ऑनर्स कार्यक्रम: दूसरे वर्ष के अंत में छात्र को बी.टेक ऑनर्स कार्यक्रम में प्रवेश लेने का अवसर दिया जाता है। बी.टेक ऑनर्स के लिए पंजीकृत छात्र को नियमित बी.टेक डिग्री के लिए सामान्य क्रेडिट के ऊपर 12 अतिरिक्त क्रेडिट लेने होते हैं। ऑनर्स कार्यक्रम के लिए प्रवेश मानदंड चौथे सेमेस्टर के अंत में न्यूनतम 8.0 सीजीपीए है।

लेटर ग्रेड प्रदान करने की पद्धति

12.3 प्रशिक्षक अकादिमक कैलेंडर में निर्दिष्ट तारीख तक लेटर ग्रेड की एक प्रति शैक्षिक अनुभाग को प्रस्तुत करेगा (करेंगे)।

12.4 संबंधित प्रशिक्षक द्वारा अंतिम-सेमेस्टर परीक्षा उत्तर पुस्तिका (आन्सर स्क्रिप्ट) और ग्रेड में परिवर्तित किए जाने वाले अंकों के विवरण को एक सेमेस्टर की अवधि के लिए रखा जाएगा।

12.5 पहले से प्रदान किए गए ग्रेडों में परिवर्तन: यदि किसी छात्र को लगता है कि उसे पाठ्यक्रम में अपेक्षित ग्रेड प्रदान नहीं किया गया है, तो वह अगले सेमेस्टर की शुरुआत के एक सप्ताह के भीतर पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे अंतिम सेमेस्टर का उत्तर दिखाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रश्नों का मूल्यांकन ठीक से किया गया है। ग्रेड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, उसे उचित औचित्य के साथ विभाग के प्रमुख के माध्यम से प्रशिक्षक द्वारा डीन (अकादमिक) को सूचित करना होगा।

13. परीक्षाएं

13.1 किसी भी छात्र को निम्नलिखित कारणों से अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है:

क) यदि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

ख) पाठ्यक्रम प्रशिक्षक की अनुशंसा पर, यदि सेमेस्टर के दौरान व्याख्यान/ ट्यूटोरियल/ प्रैक्टिकल कक्षाओं में उसकी उपस्थिति निर्धारित न्यूनतम से कम पाई जाती है।

14. मेक-अप परीक्षाएं

14.1 वे छात्र जिन्होंने वैध कारण से अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में भाग नहीं लिया हो और जिन्हें "आई" ग्रेड प्रदान किया गया हो, वे मेक-अप परीक्षा के लिए पात्र हैं जिसे अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के कुछ दिन पश्चात आयोजित किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, पाठ्यक्रम के लिए मेक-अप परीक्षा का उपयोग मेक-अप परीक्षा के लिए किया जा सकता है।

14.2 मिड-सेमेस्टर परीक्षा और क्विज के लिए कोई मेक-अप परीक्षा निर्धारित नहीं की जाएगी। यह पूरी तरह से प्रशिक्षक पर निर्भर करता है कि यदि वह स्थिति की वास्तविकता से संतुष्ट है तो वह उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी तरीके से छात्र की दक्षता निर्धारित करे।

15. ग्रेड्स रोकना

15.1 यदि छात्र ने अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है तो ग्रेड को रोका जा सकता है।

16. कार्यक्रम छोड़ने का मानदंड

16.1 कोई छात्र कार्यक्रम को छोड़ सकता है, यदि वह बी.टेक डिग्री कार्यक्रम की निर्धारित समय अवधि के भीतर न्यूनतम 5.0 अथवा उससे उपर की सीजीपीए अपेक्षा को पूरा न कर पाए।

16.2 कोई छात्र 5, 6, 7 और 8 सेमेस्टर के दौरान किसी भी समय ऑनर्स कार्यक्रम को छोड़ सकता है।

17. बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने की पात्रता

17.1 कोई छात्र बी.टेक डिग्री प्रदान किए जाने का पात्र तब होगा यदि उसके पास निम्नलिखित हों:

क. प्रत्येक पाठ्यक्रम (थ्योरिटिकल, प्रयोगशाला, स्टूडियो, कार्यशाला, सत्र इत्यादि), सेमीनार, प्रोजेक्ट आदि में ग्रेड "डी" अथवा उससे उपर के ग्रेड के साथ डिग्री की सभी क्रेडिट अपेक्षाओं को पूरा किया हो;

ख. बी.टेक. और बी.टेक ऑनर्स डिग्री के लिए अपेक्षित कुल न्यूनतम क्रेडिट पूरे किए हों।

ग. डिग्री के लिए सभी गैर-क्रेडिट अपेक्षाओं जैसे कि शिक्षणेत्तर कार्यकलाप, औद्योगिक प्रशिक्षण इत्यादि (यदि कोई हो) को संतोषजनक रूप से पूरा किया हो;

घ. संस्थान, छात्रावास, एनएसएस इत्यादि के लिए कोई राशि देय न हो।

ड. उसके विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित न हो।

17.2 बी.टेक डिग्री प्रदान की जाने की सिफारिश सीनेट द्वारा की जानी चाहिए और संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

[फा. सं. 52-2/2017-टीएस-I]

राकेश रंजन, अपर सचिव (टी.ई.)

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

S.O. 1005(E).— In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of theIndian Institutes of Information Technology (Public-private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, makes the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Raichur.

B.Tech. Programme Ordinances

(For the batches admitted in the academic year 2019-20 onwards)

1. Academic Calendar 2
2. Admission 2
3. Attendance 2
4. Conduct and Discipline 3
5. Course Structure 3
6. Registration 4
7. Duration of the Programme 4
8. Temporary Withdrawal from the Institute 4
9. Academic Probation and Termination 4
10. Grading Policy 5
11. Repetition of Courses 6
12. Assessment of Performance 7
13. Examinations 8
14. Make-up Examinations 8
15. Withholding of Grades 8
16. Exit Criterion 8
17. Eligibility for the Award of BTech Degree 8

B.Tech. Programme Ordinances
(For the batches admitted in the academic year 2019-20 onwards)

1. All Bachelor of Technology (B.Tech.) programmes offered by the Institute shall be governed by these B.Tech. Ordinances.
2. Under these Ordinances any new discipline(s)/programmes may be introduced in future.
3. A student becomes eligible for the award of the B.Tech. degree after fulfilling all the academic requirements as prescribed by these Ordinances.
4. The Institute shall have the following B.Tech. Programme:
   - Computer Science and Engineering (CSE): (4 years / 8 semesters)
   - Artificial Intelligence
   - Mathematics and Computing

1. ACADEMIC CALENDAR

1.1. Each academic session is divided into two semesters of approximately four months duration each, namely, Aug-Nov semester and Jan-Apr semester.

1.2. In addition, there may be a break between any two semesters.

1.3. The Senate approved schedule of academic activities for a session, inclusive of dates for registration, mid- semester and end-semester examinations, inter-semester breaks, and any other activities, shall be laid down in the Academic Calendar for the session.

2. ADMISSION

2.1. The number of seats in each branch of the undergraduate programmes for which admission isto be made in the IIIT Raichur will be decided by the Senate of IIIT Raichur. Seats are reservedfor candidates belonging to Other Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Physically Challenged candidates and Economically Backward Classes as per the decisions of Government of India from time-to-time.

2.2. Admission to the B.Tech. programme in any year will be based as per orders from the Government of India. Currently admissions are based on performance in the Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counseling conducted by the CSAB for the respective year.

2.3. Every student, admitted provisionally or otherwise to any programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree/provisional certificate and such other documents as prescribed by the Senate. These documents must be submitted before the prescribed date. The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the stipulated date or fails to meet any other stipulated requirement foradmission can be cancelled by the Senate.

2.4. The admission of any student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student had supplied some false information or suppressed some relevant information while seeking admission.

2.5. The Institute reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/ her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or on disciplinary grounds.

3. ATTENDANCE

3.1. (a) Students are required to attend all the classes (Lectures, Tutorials, Laboratories, Practical, Workshops, etc.) for which they have been registered.

(b) Students will have to attend all classes. However, to accommodate for any unforeseen events like minor health problems or so, a student can be absent in any course, for a maximumof 15% of classes. Beyond this 15% margin of absence, the student has to provide adequate justification to the course instructor.

<u>LEAVE OF ABSENCE</u>

3.2. The following leave of absence may fall in any of the following clauses:

a) Students are not expected to be away from the Institute during a semester.

b) Students may be granted permission to leave for occasions like death in the immediate family circle.

c) Absence due to illness not exceeding three weeks will be allowed after taking due permission. Due to emergencies, such permission may be taken later, and by the guardianif necessary.

d) At the end of the 1st year, students should earn a minimum of 50% of credits with CGPAnot below 4.0, in order to be promoted to 2nd year

e) The programme offers the possibility of a semester-long internship in the 6th Semester, provided the student has higher than a certain CGPA, which is 8.0 at the moment. The internship has 6 credits and student can spend the semester either in an industry,Academic institution or with a start-up and will submit a report at the end of the internship. The student cannot register for any other courses during this semester and remaining credits of the semester can be completed in the other semesters.

3.3. It will be the responsibility of the student to intimate the Warden of the hostel in which he/sheis residing, and the concerned instructors regarding his/her absence before proceeding on leave.

4. CONDUCT AND DISCIPLINE

4.1. Students shall conduct themselves within and outside the precincts of the Institute in a manner befitting the students of an Institution of National Importance.

4.2. There will be a Disciplinary Action Committee (DAC) to handle all the disciplinary matters of the students.

5. COURSE STRUCTURE

5.1. Teaching of the courses shall be reckoned in credits. Credits are assigned to the courses basedon the following general pattern: One credit will approximately account for 14 contact hours.

5.2. In order to qualify for a B.Tech. degree of the Institute, a student is required to complete the credit requirement as prescribed in the curriculum for a particular programme.

5.3. The course work requirements may be broadly divided into the following groups of courses:

a) Basic science

b) Basic Engg

c) Dept Core

d) Dept Electives

e) Free Electives

f) Life Skills

g) LA/CA

h) Project

5.4. Every B.Tech. Programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate.

5.5. Medium of instruction, examination and project reports will be in English.

5.6. Faculty Advisor: To help the students in planning their courses of study and getting general advice on the academic programme, the HOD will assign a Faculty Advisor to students for each semester.

6. REGISTRATION

6.1. Every student is required to register for approved courses through the assigned Faculty Advisor at the commencement of each semester on the day fixed for such registration and notified in the Academic Calendar. The registration of one or more courses may be cancelledif they are found to violate some rules or if there are restrictions imposed due to disciplinary reasons.

6.2. Students failing to register by the deadline will have deemed to have withdrawn for the semester and the future course of action will be based on the student's status and the provisions of these Ordinances.

6.3. Only those students will be permitted to register who have

a) paid all required advance payments of Institute and Hostel dues for the current semester, and

b) not been debarred from registering on any specific ground.

6.4. During registration following conditions must be fulfilled

a) A student must pass all first year courses before registering for the third year courses.

b) Normally, the number of credits registered for during a semester should not be less than 75% of the prescribed credits and should not exceed 125%.

6.5. Students may add and drop course(s) following the due process provided this is done within the date mentioned in the Academic Calendar and as per the conditions given in the clauses above.

7. DURATION OF THE PROGRAMME

7.1. Normally a student shall complete all the requirements for the undergraduate programme in eight consecutive semesters. However, a student must complete the programme in at most 12 regular semesters in each of which the student registers for at least one course, the total time elapsed must not exceed 6 years. If either of these limits is crossed, the student's studentship in the programme will be terminated.

8. TEMPORARY WITHDRAWAL FROM THE INSTITUTE

8.1. A student who has been admitted to an undergraduate programme of the Institute may be permitted to withdraw temporarily from the Institute on the grounds of prolonged illness or grave calamity in the family for a period of one semester or more, provided:

a) He/she applies to the Institute within at least 6 weeks of the commencement of the semester or from the date he last attended his/her classes whichever is later, stating fully the reasons for such withdrawal together with supporting documents and endorsement of his/her guardian;

b) The Institute is satisfied that, counting the period of withdrawal, the student is likely to complete his/her requirements of the B.Tech. Degree within the time limits specified in Clause 7 above;

c) There are no outstanding dues or demands in the Institute/ Hostel /Library.

8.2. A student who has been granted temporary withdrawal from the Institute under the provisions of Clause 8.1 will be required to pay fees/charges (except tuition fees and hostel dues) till such time as his/her name is on the Roll List. However, fees once paid will not be refunded.

8.3. Normally, a student will be permitted only two such temporary withdrawals during his/her tenure as a student of the undergraduate programme.

9. ACADEMIC PROBATION AND TERMINATION

9.1. A studentship in a programme may be terminated on the following grounds:

a) Completion of a course implies that a student obtains a minimum of 'D' grade in the respective course.

b) Students who have obtained F grade in any core course(s) have the opportunity to complete the course(s) by redoing the courses in the subsequent semesters.

c) If a student is absent for more than 6 (six) weeks in a semester without sanctioned leave.

d) A decision is taken on disciplinary grounds.

e) On having been found to have produced false documents or having made false declaration at the time of seeking admission.

f) Failure to attain a CGPA as follows:

a. CGPA of 4.00 and below will not be allowed to enroll in next semester

b. The student has to attain the minimum graduating requirement of CGPA 5.0 and above at the end of the course

g) The maximum permissible duration of the programme has been exceeded.

9.2. Notifications to Students / Parents

a) Intimation may be issued to a student and/or his/her parent if he/she gets a SGPA of lessthan 5.00 in any semester.

10. GRADING POLICY

10.1. The institute follows a relative grading system with flexibility given to the faculty members to decide the mark ranges for the grades. All assessment of the course will be done on the basis of the marks.

10.2. Faculty members can adopt any of the logical methods such as normalized curve, z-score, etc.to decide the grades. In general, it is recommended that the grading should follow the standardbell curve distribution.

10.3. The grading structure adopted by the faculty member for a given course is subject to the scrutiny of the Dean (Academics).

10.4. Any issues related to grading will be decided by the Dean (Academics) in consultation with the Chairman of the Senate.

10.5. Based on the performance of a student, each student is awarded a final letter grade in each course at the end of the semester. The letter grades and the corresponding grade points for students admitted on or after the academic year 2019-20 are given in the following table:

Points	10	10	9	8	7	6	5	4	0
Grade	A+	A	A-	B	B-	C	C-	D	F

Notes: (a) A+ is exceptional (b) F is failed (c) In addition, there shall be a transitional grade 'I'.

10.6. A student is considered to have completed a course successfully and earned the credits if he/she secures a letter grade other than 'I' or 'F' in that course. A letter grade F in any courseimplies a failure in that course.

10.7. The Transitional Grade 'I'

a) The instructor of a course may award the grade 'I' to a student if the latter was compelledto absent himself from the end semester examination on account of: (i) Illness or accidentwhich disabled him from appearing at the examination. (ii) A calamity in the family at the time of the examination, which, in the opinion of the Institute, required the student tobe away from the campus. A student will be eligible for the award of grade 'I' only if his/her attendance at classes and performance in other components of assessment are complete and satisfactory.

b) All 'I' grades obtained by students will be converted to a letter grade after a make-up examination.

10.8. A Semester Grade Point Average (SGPA) will be computed for each semester. The SGPA will be calculated as follows:

SGPA = (C1*G1 + C2*G2 + C3*G3 + ●●● + Cn*Gn) / (C1 + C2 + C3 + ●●● + Cn)

where, n is the number of courses registered during the semester, Ci is the number of credits allotted to a particular course, and Gi is the grade points corresponding to the grade awardedfor the course.

10.9. A Cumulative Grade Point Average (CGPA) will be computed at the end of each semesterand communicated to the students along with the SGPA and the grades obtained by them forthat semester. The CGPA gives the cumulative performance of the student from the firstsemester up to the end of the semester to which it refers, and will be calculated as follows: CGPA = (C1*G1 + C2*G2 + C3*G3 + ●●● + Cm*Gm) / (C1 + C2 + C3 + ●●● + Cm) where, m is the number of courses registered up to that semester, Ci is the number of credits allotted to a particular course, and Gi is the grade points corresponding to the grade awardedfor the course.

Whenever a student repeats or substitutes a course in any semester, the lower grade(s) obtained by him/her in the course is to be ignored in the computation of CGPA from that semester onwards.

10.10. Both SGPA and CGPA will be rounded off to the second place of decimal and recorded as such. Whenever these CGPA are to be used for the purpose of determining the merit ranking of a group of students, only the rounded off values will be used.

10.11. When a student gets the grade 'I' for any course during a semester, the SGPA for that semester and the CGPA at the end of that semester will be tentatively calculated ignoring 'I' graded course(s). After conversion of 'I' grade(s) to appropriate grade(s), the SGPA and CGPA for that semester will finally be recalculated after taking the converted grade(s) intoa ccount.

10.12. There are, however, a few specific academic requirements for undergraduate programmes where student will be awarded following two grades viz., 'P' - Passed and 'F' - Failed. No grade points are associated with these grades and performance in these courses is not takeninto account in the calculation of the SGPA or CGPA. However, the award of the degree issubject to obtaining a 'P' grade in all such courses.

10.13. The CGPA can be notionally converted to percentage by multiplying the CGPA by a factor of 10.

11. REPETITION OF COURSES

11.1. Students obtaining the grade 'F' in any course (other than an elective and lab practical) willbe deemed to have failed in that course. To pass in the course, the student will have two options:

a) The student can repeat the course by registering for it in a regular semester when the course is offered.

b) The student can repeat the course by registering for it in a summer semester break if it is offered.

11.2. Students obtaining the grade 'F' in an elective course may have to repeat the course as fresh registration in the subsequent semester/year if it is offered, or register for any course that is deemed by the authorities to be another elective course.

11.3. In case of failure in the Laboratory/Practical course the student will have to re-register for itin the next appropriate semester.

11.4. When a student registers for a course, his/ her grade will be used for SGPA calculation in that semester.

11.5. At the end of the first year:

a) In order to continue the programme and to be promoted to 2nd year, the following two conditions should be met:

a) A student should have successfully completed minimum of 50% of the prescribed credits for the 1st year; and

b) Students should have a CGPA ≥ 4.0.

11.6. Students not meeting the above two requirements are not promoted to 2nd year. They have an opportunity to continue the programme in the subsequent academic year by registering as a repeating 1st year student.

12. ASSESSMENT OF PERFORMANCE

12.1. There will be continuous assessment of a student's performance throughout the semester and grades will be awarded by the teacher concerned or the appropriate committee appointed forthis purpose on the following basis.

a) In case of courses,

i) For theory courses, the evaluation will be based on methods like instructors assessment, quizzes, mid semester examination and end semester examination, and

ii) For laboratory courses, the evaluation will be on the basis of attendance, assessment of the tasks assigned and end semester test/viva.

b) The evaluation of the project work will be based on sessional work assigned by the supervisor, seminar, project report and project evaluation committees' assessment.

c) In case of other requirements such as seminar, extra academic activities etc., evaluationwill be as determined by the grade awarding authority.

d) The grading policy weightage assigned to different components of assessment will be announced by the concerned instructor(s) in the beginning of the semester.

e) The grading should be transparent. It is recommended that the instructors should showthe evaluated answer scripts (if applicable) to the students.

f) The final grades for a course must be submitted after the end-semester examination bythe concerned instructor(s) to the Academic Section within the date stipulated in the academic calendar.

g) The curriculum will have project components, normally after the 2nd year. The projectwill be supervised by a faculty member. The grade for the project(s) will be awarded by both evaluation committee members and the supervisor for his/her overall performance.

12.2. Honors Programme: A student at the end of 2^{nd} year is given an opportunity to get into B.Tech. Honors programme. A student registered for B.Tech. Honors has to take additional 12 credits over and above the normal credits for regular B.Tech. Degree. The entry criteria for Honors programme is a minimum CGPA of 8.0 at the end of the 4th semester.

METHOD OF AWARDING LETTER GRADES

12.3. The instructor(s) shall submit a copy of letter grades to the Academic section, by the due date specified in the Academic Calendar.

12.4. End-semester examination answer scripts and the sheet containing details of marks converted to grades shall be preserved by the instructor(s) concerned for a period of one semester.

12.5. Changes in Grades Already Awarded: If a student feels that he/she has not been awarded a deserving grade in a course, he/she may request the instructor of the course within one weekof the start of the next semester, to show him/her the end-semester answer script in order toensure that all the questions have been evaluated properly. In case of any change in grade, the same with due justification has to be communicated by the Instructor to the Dean (Academic) through the Head of the Department.

13. EXAMINATIONS

13.1 A student may be debarred from appearing in the end semester examination due to the following reasons:

a) If any disciplinary action is taken against him/her.

b) On recommendation of a course instructor, if his/her attendance in the Lecture/Tutorial/ Practical classes has less than the prescribed minimum during the semester.

14. MAKE-UP EXAMINATIONS

14.1. Students who have missed an end-semester examination on valid reasons and have been awarded "I" grade are eligible for a make-up examination which may be held a few days after

the end semester examinations. Alternatively, make-up examination for the course canbe used as a make-up examination.

14.2. No make-up examination will be scheduled for the mid-semester examination and quizzes.It is entirely up to the instructor to ascertain the proficiency of the student by whatever means considered appropriate to him/her if he/she is satisfied with the bonafides of the case.

15. WITHHOLDING OF GRADES

15.1. Grades may be withheld when the student has not paid his/her dues or when there is a disciplinary action pending against him/her.

16. EXIT CRITERION

16.1. A student may quit the program, if he / she fails to complete the minimum CGPArequirements of 5.0 and above within the stipulated period of time of the B.Tech. Degree Programme.

16.2. A student may quit the honors programme at any point of time during semester 5, 6, 7 and 8.

17. ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF B.TECH. DEGREE

17.1. A student shall be declared to be eligible for the award of B.Tech. degree if he/she has:

a) Completed all the credit requirements for the degree with a grade "D" or higher grade in each of the courses (Theoretical, Laboratory, Workshop, Sessional etc.), Seminar, Project etc.

b) Completed the minimum required total credits for B.Tech. and B.Tech. degree with Honors.

c) Satisfactorily completed all the non-credit requirements for the degree viz Extra Academic Activities, Industrial Training, etc. (if any);

d) No dues to the Institute, Hostels, NSS, etc.

e) No disciplinary action is pending against him/her.

17.2. The award of B.Tech. degree must be recommended by the Senate and approved by the Boardof Governors of the Institute.

[F. No. 52-2/2017–TS-I]

RAKESH RANJAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA